भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.5471
उत्तर देने की तारीख 25 मार्च, 2026

रिचार्ज की वैधता समात होने के तुरंत बाद इनकमिंग मोबाइल सेवाओं को बंद करना

5471. श्री राजमोहन उन्नीथनः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई दूरसंचार कंपनियां प्रीपेड रिचार्ज की वैधता समात होने के तुरंत बाद इनकमिंग कॉल और एसएमएस को अक्सर अगले ही दिन से बंद कर देती हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि लाखों गरीब, ग्रामीण और प्रवासी उपयोगकर्ता मुख्य रूप से इनकमिंग कॉल, बैंक ओटीपी और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जैसे प्लेटफार्मों से संबद्ध सरकारी योजना संबंधी अलर्ट प्राप्त करने के लिए मोबाइल कनेक्शन रखते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के परामर्श से यह अधिदेश देने पर विचार कर रही है कि इनकमिंग कॉल और आवश्यक एसएमएस सेवाएं बिना रिचार्ज किए भी कम से कम छह महीने तक सक्रिय रखी जाएं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आवश्यक संचार सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को दूरसंचार सेवाओं की दरों को अधिसूचित करने की शक्तियां दी गई हैं। मौजूदा टैरिफ फ्रेमवर्क के अनुसार, राष्ट्रीय रोमिंग, ग्रामीण फिक्स्ड लाइन सेवाओं, मोबाइल

नंबर पोर्टेबिलिटी और लीज्ड सर्किटों जैसी सेवाओं को छोड़कर, मोबाइल और डेटा सेवाओं के लिए टैरिफ फोरबियरेंस के अधीन है। मौजूदा विनियामक प्रावधानों के अनुपालन के अध्यधीन, सेवा प्रदाता बाजार की स्थिति और अन्य वाणिज्यिक विचारणीय पहलुओं को अपनी समझ के आधार पर टैरिफ डिजाइन करने और उसे ऑफर करने के लिए स्वतंत्र हैं। बाजार में प्रतिस्पर्धा मौजूद है और सरकार की नीतियों और ट्राई द्वारा अधिसूचित विनियामक फ्रेमवर्क से भारत में मोबाइल सेवाओं के उपभोक्ताओं के लिए सबसे कम टैरिफ दर के बराबर टैरिफ हो गई है।
